रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 506] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 1976/अग्रहायण 3, 1898

No. 506] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 1976/AGRAHAYANA 3, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. 23 1976

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 24th November 1976

S.O. 752(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community; and, whereas, any strike or lock-out in any of the textile mills in the State of Madhya Pradesh would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes and lockouts in all the textile mills in that State;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike or lock-out in connection with any industrial dispute, in all the textile mills in the State of Madhya Pradesh for a period of six months.

[No. F. S.42011/13/76/DI(A)]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1976

का० आ० 752(अ).—केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ; और मध्य प्रदेश राज्य की सभी कपड़ा मिलों में कोई हड़ताल या तालाबन्दी समुदाय के जीवन के लिए प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और उस राज्य की सभी कपड़ा मिलों में हड़तालों और तालाबन्दियों को रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश की सभी कपड़ा मिलों में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल या तालाबन्दी को तत्काल प्रभाव से छः साल की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है।

[सं० फा० एस० 42011/13/76/डी1(ए)]

देवव्रत बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976